न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र रिव्यू/रसद/57/2022

ऋषि कटारा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 20 शहर भरतपुर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....रेस्पो0

प्रार्थना पत्र रिव्यू विरुद्व आज्ञा न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर दिनांक 6.4.2022 व उनवानी ऋषि कटारा बनाम जिला रसद अधिकारी।

निर्णय

दिनांक 12-7-22

प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र वखिलाफ जिला कलेक्टर भरतपुर निर्णय दिनांक 6–4–22 के विरुद्व पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमान ने अपने आदेश में स्वयं लिखा है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 21.11.2016 द्वारा जॉच कर दोषियों के विरुद्व कार्यवाही करने बाबत लिखा है कि लेकिन जिला रसद अधिकारी भरतपुर की पत्रावली से स्पष्ट है जिला रसद अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की गई है। मात्र प्रार्थी/अपीलान्ट के जबाब ना देने से प्रार्थी के विरुद्व लगाये आरोप सिद्व नहीं हो जाते हैं। निर्णय में यह कमी जिला रसद अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है इस कारण आज्ञा श्रीमान रिव्यू है। न्यायालय ने निर्णय करने समय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। प्रार्थी ने खाद्य आयुक्त जयपुर द्वारा विजयभान बनाम जिला रसद अधिकारी व लक्ष्मण प्रसाद बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर (पुनरीक्षण न.71/19) के निर्णय दिनांक 22.12.2021 की प्रति पेश की है जो प्रार्थी के प्रकरण के समान है, इन प्रकरणों में प्रार्थी के प्रकरण की तरह जिला रसद अधिकारी ने कोई जॉच नहीं की जिस पर खाद्य आयुक्त ने पुनः जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी को भेजा प्रार्थी के प्रकरण में भी कोई जॉच नहीं की गई है निर्णय में यह त्रुटि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड को देखने से स्पष्ट है इस कारण निर्णय दिनांक 6.4.2022 काविल रिव्यू है। प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर आज्ञा दिनांक 6–4–2022 निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी एवं न्यायालय की मूल पत्रावली एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुये बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 21–11–2016 द्वारा दोषीयों के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत लिखा है परन्तु जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने इस बाबत कोई जांच नहीं की गई है। उनका तर्क है कि मात्र अपीलार्थी/प्रार्थी के जबाब नहीं देने के कारण प्रार्थी को दोषी नहीं माना जासकता है। न्यायालय श्रीमान ने निर्णय (दिनांक 6.4.2022) करते समय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि खाद्य आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2021 की प्रति पेश की गई थी। उक्त निर्णय में माननीय खाद्य आयुक्त जयपुर ने विजयभान बनाम जिला रसद अधिकारी व लक्ष्मण प्रसाद बनाम जिला रसद अधिकारी के प्रकरणों को पुनः जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजा है, प्रार्थी अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त प्रकरणों जैसा ही है, इसलिए प्रार्थी के प्रकरण को भी दुबारा जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजना चाहिये था, परन्तु श्रीमान न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। निर्णय में यह त्रुटि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड को देखने से स्पष्ट है। योग्य अभिभाषक का जबाब में तर्क दिया कि जहॉ किसी एक्ट में रिव्यू का प्रावधान ना हो वहॉ सी.पी.सी. में दिये गये प्रावधानों के तहत रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जासकता है। अतः रिव्यू प्रार्थना स्वीकार किया जकार रिव्यू आधीन आज्ञा दिनांक 6.4.2022 निरस्त की जावे।

पैरोकार रसद ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है। रिव्यू आधीन निर्णय ई.सी. एक्ट के तहत पारित किया गया है। ई.सी. एक्ट में रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। पैरोकार सरकार का कहना है कि प्रार्थी ने जो बिन्दू प्रार्थना पत्र रिव्यू में उठाये गये हैं वे सभी अपील में पारित निर्णय में विवेचन किये गये हैं। प्रार्थी ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई त्रुटि नहीं बताई है जिससे निर्णय प्रभावित होता हो। खाद्य आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2021 में डीलर विजयभान एवं डीलर लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरणों को पुनः जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किये हैं, जब कि प्रार्थी अपीलार्थी का प्रकरण खाद्य आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 8.9.21 जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः जॉच को रिमान्ड किया गया है। उक्त प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण जिला रसदअधिकारी भरतपुर को पुनः जांच हेतु भिजवाना चाहता है। प्रार्थी के कथन तर्क संगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र रिव्यू के सम्बन्ध में ई0सी0 एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, न्याय हित में सी0पी0सी0 की धारा 114 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रार्थना

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पत्र रिव्यू पर विचार किया गया। रिव्यू आधीन आदेश दिनांक 6.4.2022 में उठाये गये बिन्दू अन्य प्रकरण खाद्य आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2021 में डीलर विजयभान एवं डीलर लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरणों को पुनः जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किये गये हैं, प्रार्थी के प्रकरण में भी उक्त प्रकरणों जैसे ही समान आरोप हैं, तथा निर्णायक बिन्दू भी एक ही हैं इस बाबत रिव्यू आधीन आदेश में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में डीलर विजयभान एवं डीलर लक्ष्मण प्रसाद के प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त प्रकरणों में लगाये गये आरोप और प्रार्थी डीलर पर लगाये गये आरोपों के समान एक जैसे ही हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा लगाये गये आरोप एवं अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दूओं पर पुनः विस्तृत जांच की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाता है। रिव्यू आधीन आदेश अपील(रसद) 18/2021 निर्णय दिनांक 6.4.2022 एवं जिला अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 3.3.2017 निरस्त जाते हैं। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता है कि वे अपीलान्ट द्वारा उठाये गये बिन्दूओं पर पुनः विस्तृत जांच करें। प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण आरापों का विस्तृत परीक्षण कर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2022 को सरेइजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर